	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ *14*, *शुक्रवार*, शाके 1946-*जुलाई 05*, 2024 *Asadha 14, Friday, Saka 1946- July 05, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 28, 2024

संख्या प.5(01)चिस्वा/ग्रुप-3/ई-5095/2024 :-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 आॅफ 2006) की धारा 37(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त विभागीय कर्मचारियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नियमित नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्राप्त होने तक के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 आॅफ 2006) की धारा 38 में निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया जाता हैः-

क्रम सं.	विभागीय कर्मचारी का नाम	मूल पद
1.	श्री उम्मेद मल टेलर	Sr. Lt.
2.	श्री घनश्याम लाल शर्मा	Lt.
3.	श्री सुनील कुमार पामेचा	Nursing Officer
4.	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	Junior Assistant
5.	श्रीमति नेहा	Nursing Officer
6.	श्री अशोक कुमार लखेरा	Lt.
7.	श्री मुकेश प्रजापत	Lt.
8.	श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश	Ta
9.	श्री मौजीलाल कुम्भकार	Ta
10.	श्री गोवर्धन सिंह खयालिया	Sr. Nursing Officer
11.	श्री विनोद कुमार एन परमार	Nursing Officer
12.	श्रीमती विजय कंवर	Nursing Officer
13.	श्री प्रवीण चौधरी	Nursing Officer
14.	श्री रूप सिंह	Sr. Lt
15.	श्री विजय सिंह	Sr. Radiographer
16.	श्री बाबूलाल तगाया	Ta
17.	श्री मनीष कुमार शर्मा	Sr. Radiographer

18.	श्री नन्दराम	Sr. Lt
19.	श्री सुरेश कुमार शर्मा	Sr. Nursing Officer
20.	श्री सुरेन्द्र कुमार	Sr. Lt
21.	श्री रफीक मोहम्मद	Lt
22.	श्री हंसराज गोदारा	Sr. Nursing Officer
23.	श्री कंवर पाल सिंह	Sr. Radiographer
24.	श्री राकेश कुमार गोदारा	Nursing Officer
25.	श्री सुदेश कुमार गर्ग	Sr. Lt
26.	श्री धरम वीर	Pharmacist

उक्त समस्त विभागीय कर्मचारी द्वारा निम्न शर्तो के अध्याधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे :-

1. खाद्य शक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने के अधिकार पूर्णतया राज्य सरकार/विभाग का होगा अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicial/Quasi Judicial Benefit) के हकदार नहीं होंगे।
2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद के वेतनमान पर ही राज्य कार्य करेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगती का लाभ देय नहीं होगा।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नियमित नियुक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध होने तक के लिए अधिसूचित किया जाता है।
4. अधिसूचित विभागीय कर्मचारी के विरूद्ध कार्य में लापरवाही/शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त कार्मिक को तुरंत अधिसूचित पद से हटाकर मूल विभाग में भिजवा दिया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रीति माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।